इसे वेबसाईट www.govtpress.mp.gov. in
से भी डाउन लोड किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 42] भोपाल, शुक्रवार, दिनांक 17 अक्टूबर 2025—आश्विन 25, शक 1947

भाग ४

विषय-सूची

(क) (1) मध्यप्रदेश विधेयक, (2) प्रवर समिति के प्रतिवेदन, (3) संसद में पुर:स्थापित विधेयक.
(ख) (1) अध्यादेश, (2) मध्यप्रदेश अधिनियम, (3) संसद् के अधिनियम.
(ग) (1) प्रारूप नियम, (2) अन्तिम नियम.

भाग ४ (क)—कुछ नहीं

भाग ४ (ख)—कुछ नहीं

भाग ४ (ग)

अंतिम नियम

वन विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 14 अक्टूबर 2025

एफ 14-82-1988-10-2 वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 (1972 का 53) की धारा 28 के साथ पठित धारा 64 की उपधारा (1) तथा उपधारा (2) के खण्ड (ज) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए. राज्य सरकार, एतदद्वारा, मध्यप्रदेश वन्यप्राणी (संरक्षण) नियम, 1974 में निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात् -

संशोधन

मध्यप्रदेश वन्यप्राणी (संरक्षण) नियम, 1974 का नियम 34 जो मध्यप्रदेश राजपत्र भाग 4 में दिनांक 27 अगस्त, 2021 को प्रकाशित हुआ है, में निम्नानुसार संशोधन किया जाता है:-

1. नियम 34 के उप नियम 3(1) वन्यप्राणी पर्यटन क्षेत्रों की वर्गीकृत सारणी के वर्ग-3 से माधव राष्ट्रीय उद्यान, नौरादेही अभयारण्य एवं रातापानी अभयारण्य को विलोपित किया जाता है।
2. नियम 34 के उप नियम 3(1) वन्यप्राणी पर्यटन क्षेत्रों की वर्गीकृत सारणी के वर्ग- 1 के नीचे वर्ग-1(क) निम्नानुसार अंत:स्थापित किया जाता है:-माधव टाइगर रिजर्व, रानी दुर्गावती टाइगर रिजर्व एवं पद्मश्री डॉ. विष्णु श्रीधर वाकणकर टाइगर रिजर्व, रातापानी के कोर क्षेत्र हेतु प्रवेश शुल्क वर्ग गुणांक 0.8 होगा।
3. नियम 34 के उप नियम 4(1) को तालिका सहित विलोपित कर निम्नानुसार प्रतिस्थापित किया जाता है-

संशोधित उप नियम 4(1)- उन संरक्षित क्षेत्रो के लिये जहाँ पर्यटक धारण क्षमता की गणना अनुसार प्रतिदिन के लिये उपलब्ध वाहनों हेतु अनुज्ञा-पत्रों की संख्या जारी किया जाना नियत है, वहां क्षेत्र संचालक कोटा 10 प्रतिशत को छोडकर शेष अनुज्ञा-पत्रों को ऑनलाईन जारी किया जायेगा, जिसमें संपूर्ण वाहन अनुज्ञा-पत्र कुल संख्या का 70 प्रतिशत तथा 10 प्रतिशत एकल शीट अनुज्ञा-पत्र उपलब्ध रहेगा एवम 10 प्रतिशत एकल शीट अनुज्ञा पत्र सफारी दिवस के 1 दिन पूर्व दोपहर बाद 2.00 बजे से उपलब्ध होंगे।

4.नियम 34 के उप नियम 4(3) को विलोपित किया जाता है।

5.नियम 34 के उप नियम 7(3) को विलोपित कर निम्नानुसार प्रतिस्थापित किया जाता है:-

संशोधित उप नियम 7(3) -पंजीकृत वाहनों की दो श्रेणी होगी-

i. पहली श्रेणी के वाहन रोस्टर पद्धति से संचालित होंगे. रोस्टर पद्धति संरक्षित क्षेत्र के भार-साधक अधिकारी के समक्ष पंजीकृत पर्यटक वाहन संस्था द्वारा प्रबंधित संरक्षित क्षेत्र की स्थानीय परिस्थितियो पर आधारित प्रबंधन द्वारा विनिश्चित प्रक्रिया से प्रबंधित होगी।
ii. द्वितीय श्रेणी के वाहन रोस्टर में नहीं रहेंगे। ऐसे वाहन स्थानीय होटल के होंगे एवं केवल अपने निवासी पर्यटक को लेकर संरक्षित क्षेत्र मे प्रवेश कर सकेंगे, परंतु जब भी वे संरक्षित क्षेत्र मे प्रवेश करेगे तो रोस्टर में आने वाले वाहन को नियम 34 के उप नियम 7(6) अनुसार क्षतिपूर्ति भुगतान करेंगे।

वाहनों को प्रदाय पंजीयन स्टीकर में रोस्टर/गैर-रोस्टर स्पष्ट रूप से अंकित किया जाएगा।

6. नियम 34 के उप नियम 7(8) को विलोपित कर निम्नानुसार प्रतिस्थापित किया जाता है:-

संशोधित उप नियम 7(8)- उप नियम 7(3) में वर्णित प्रथम श्रेणी के वाहनों हेतु रुपये 2000/- एवम द्वितीय श्रेणी के वाहनो हेतु रूपये 10,000/-पंजीयन शुल्क देय होगा, जो संरक्षित क्षेत्र की पार्क विकास निधि में जमा किया जाएगा।

उक्त संशोधन अधिसूचना जारी होने के दिनांक से प्रवृत्त होंगे।

F 14-82-1988-10-2 In exercise of the powers conferred by clause (h) of sub-section (1) and sub-section (2) of section 64 read with section 28 of the Wildlife (Protection) Act, 1972 (53 of 1972), the State Government hereby makes the following amendments in the Madhya Pradesh Wildlife (Protection) Rules, 1974, namely:

AMENDMENDS

Rule 34 of the Madhya Pradesh Wildlife (Protection) Rules, 1974 published in the Madhya Pradesh Gazette Part 4 dated 27th August, 2021 is amended as follows:-

1. Madhav National Park, Nauradehi Sanctuary and Ratapani Sanctuary are deleted from Class-3 of the classification table of wildlife tourism areas under sub-rule 3(1) of rule 34.

2. Sub-rule 3(1) of Rule 34 Under Class 1 of the Classification Table of Wildlife Tourism Areas, Class-1(a) is inserted as follows: "For Core areas of Madhav Tiger Reserve, Rani Durgavati Tiger Reserve and Padmashri Dr. Vishnu Sridhar Vakankar Tiger Reserve, Ratapani" entry fee class coefficient will be 0.8.

3.Sub-rule 4(1) of rule 34 is substituted with table and substituted as follows:-

Amended Sub-rule 4(1): For those Protected areas where the number of permits for vehicles available for daily use is fixed as per the tourist carrying capacity, except for the 10% field director quota, the remaining permits will be issued online, in which full vehicle permits will be 70% of the total number, single seat permits will be 10% and 10% permits will be available one day before the safari day from 2:00 P.M.

4. Sub-rule 4(3) of Rule 34 is omitted.

5. Sub-rule 7(3) of rule 34 is omitted and substituted as follows:-

Amended sub-rule 7(3)-Provides two categories of registered vehicles-

i. Category I vehicles will operate on a roster system. The roster system will be managed by tourist vehicle association registered with the officer-in-charge of the Protected area in accordance with a procedure determined by the management based on the local conditions of Protected area.

ii. Category II vehicles will not be on the roster. Such vehicles will be owned by local hotel and will only be permitted to enter the Protected area carrying

resident tourists, but will pay compensation to roster vehicle in accordance with sub-rule 7(6) of Rule 34 whenever they enter the Protected area.

Roster/Non-roster will be clearly mentioned in the registration sticker provided to the vehicles.

6. Sub-rule 7(8) of rule 34, is omitted and substituted as follows:-

Amended sub-rule 7(8)- Registration fee of Rs 2000/- for category **I** vehicles and Rs 10000/- for category **II** vehicles as mentioned in sub-rule 7(3) shall be payable which shall be deposited in the park development fund of the protected area.

The said amendments will come into force from the date of issue of this notification.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
राजबेन्द्र मिश्रा, पदेन उपसचिव.

नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री, मध्यप्रदेश द्वारा शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय, भोपाल से मुद्रित तथा प्रकाशित—2025.